संख्या— 312/XXXIV/2015/109/2010

प्रेषक,

एन0 रवि शंकर,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग   देहरादून दिनांक 31 जुलाई, 2015

विषयः— सरकारी संस्थाओं/कार्मिकों के द्वारा ई—मेल संचार एवं सोशल मीडिया के प्रयोग के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश-विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मेरे पूर्व पत्र संख्या— 13/XXXIV/2015/53/2013 दिनांक 12.01.2015 (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सरकारी संस्थाओं/कार्मिकों द्वारा ई—मेल संचार एवं सोशल मीडिया के प्रयोग के सन्दर्भ में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.09.2014 एवं 26.11.2014 की प्रति संलग्न कर नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेन्टर (एन0आई0सी0) द्वारा प्रदत्त ई—मेल सेवा का प्रयोग किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. इसी कम में विभाग के पूर्व पत्र सं. 283/109/XXXIV/सू0प्रौ0/2010 दिनांक 27.10.2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सरकारी वेबसाइटों हेतु नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर (एन0आई0सी0), भारत सरकार द्वारा विकसित दिशा निर्देशों के अनुरूप वेबसाइटों के समय—समय पर प्रत्येक विभाग द्वारा वेब इन्फोरमेशन लीडर के माध्यम से अवधनीकरण किये जाने के भी निर्देश दिये गये थे।

3. सरकारी वेबसाइटों की उपयोगिता, गुणवत्ता, उपयोग, प्रारूप एवं उन पर उपलब्ध सूचना के अवधनीकरण के सम्बन्ध में समय—समय पर नागरिकों एवं मीडिया द्वारा मत व्यक्त किये जाते रहे हैं। इसी कम में शासन को समाधान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत के अनुश्रवण पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सभी विभागों के प्रमुख राज्य में एन0आई0सी0 द्वारा प्रदत्त ई—मेल सेवा का पूर्णतः प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और न ही सरकारी वेबसाइट का अवधनीकरण (समस्त कन्टेन्ट हमेशा विश्वसनीय, पुराना/लुप्तप्राय हटाते हुये नवीनतम करने की प्रकिया) कर रहे हैं। वर्तमान परिपेक्ष्य में यह स्थिति उचित नहीं है।

अतः विषयगत सन्दर्भ में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रवि शंकर)
मुख्य सचिव।

संख्या— 312/XXXIV/2015/109/2010 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर (एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, देहरादून को उक्त निर्देशों को संलग्नकों सहित विभाग की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
सचिव।